

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 23.5.18

संख्या-1/पी0-101/2014 का०- 3446/ दिनांक 25.05.2018 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के राँची परिभ्रमाण के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण एवं नयाचार के कार्य हेतु श्रीमती आर० रॉनीटा भा.प्र.से. (झा:2015), अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा को तत्काल प्रभाव से दिनांक 25.05.2018 तक उपायुक्त, राँची के नियंत्रणाधीन प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-21 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

30/05/23/5/18

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2014 का० - 3446 /राँची, दिनांक 23.5.18

प्रतिलिपि-मोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/05/23/5/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2014 का० - 3446 /राँची, दिनांक 23.5.18

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, चाईबासा /उपायुक्त, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड/ श्रीमती आर० रॉनीटा भा.प्र.से. (झा:2015), अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/05/23/5/18

सरकार के अवर सचिव।